ISO/IEC 27001:2013 Certified

MPOnline Limited

Joint venture between Govt of Madhya Pradesh and TCS

मध्यप्रदेश सरकार का पोर्टल

कियोस्क हेतु आवेदन, आवंटन एवं अनुबंध संबंधी आवश्यक जानकारी

- एमपीऑनलाइन **www.mponline.gov.in** के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कियोस्क स्थापित करने हेतु आवेदकों से समय-समय पर आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस हेतु सर्वप्रथम आवेदक को ऑनलाइन पंजीयन फार्म भरना होगा। आवेदन के आधार पर कियोस्क आवंटन संबंधी प्रक्रिया की जावेगी। आवेदक फार्म भरने से पूर्व निम्न आवश्यक जानकारियां अवश्य पढ़ लेंवे।
- आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि निर्धारित दिशा-निर्देश तथा मापदंड अनुसार ट्रांजेक्शन करने तथा कियोस्क संचालन करने में समक्ष हैं, तो ही कियोस्क पंजीयन करावें।
- कियोस्क आवंटन के संबंध में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति से संपर्क न करें। कियोस्क संबंधी विस्तृत जानकारी हेतु एमपीआनलाइन से दूरभाष पर संपर्क करें।
- वर्तमान में विभाग के निर्देशानुसार दो कियोस्क के बीच दूरी के बंधन को समाप्त कर दिया गया है तथा प्रत्येक आवंटित कियोस्क को प्रतिमाह 200 ट्रांजेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- आवेदक फार्म में अपना नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि पेन कार्ड में दर्ज जानकारी अनुसार ही भरें। आवेदन में मोबाइल नं. तथा ईमेल आईडी सही-सही भरें। गलत पेनकार्ड, अधूरी तथा गलत जानकारी भरने तथा दस्तावेज स्पष्ट स्कैन कर अटैच नहीं करने पर आवेदन निरस्त माना जावेगा, और इसके लिए आवेदक जिम्मेदार होंगे। एक व्यक्ति को एक ही कियोस्क आवंटित होगा।
- आवेदन फार्म में आवेदक कियोस्क के नाम में MPONLINE शब्द का उपयोग नहीं करें। जैसे (RAJ MPONLINE, इसके स्थान पर कियोस्क का नाम RAJ ONLINE रखा जा सकता है) यदि कोई कियोस्क के नाम में MPONLINE का उपयोग करेंगे तो उनकी आईडी बंद कर दी जावेगी।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये तथा न्यूनतम हाईस्कूल पास होना अनिवार्य है एवं आवेदक को कम्प्यूटर का प्राथमिक ज्ञान व हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपिंग आना चाहिये।
- एमपीआनलाइन के सामान्य कियोस्क, स्कूल एवं कालेज परिसर में स्थापित नहीं किये जावेंगे। अतः स्कूल एवं कालेज में कियोस्क स्थापित करने हेतु कोई भी आवेदन न करें। यदि इन स्थानों पर कियोस्क स्थापित किया जाता है तो कियोस्क आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
- कियोस्क स्थापना के लिए दुकान / आफिस / इंटरनेट कैफे में कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर, बायोमेट्रिक डिवाइस, वेबकैमरा एवं इंटरनेट कनेक्शन के साथ कम्प्यूटर सेटअप होना अनिवार्य है। साथ ही कियोस्क अनुबंध प्रक्रिया हेतु क्लास-2 श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर होना भी अनिवार्य है।

- आवेदक द्वारा कियोस्क हेतु आनलाइन भरे गये आवेदन की स्थिति होम पृष्ठ पर आनलाइन देखी जा सकती है।
- आवेदक के पास किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की नेटबैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है।
- कियोस्क स्थापना हेतु आवेदक को कियोस्क पंजीयन शुल्क का भुगतान ग्राम पंचायत स्तर पर (1000/- रुपये + जीएसटी) तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में (3000/- रुपये + जीएसटी) नेटबैंकिंग के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना होगा।
- कियोस्क हेतु फार्म भरने के उपरांत कियोस्क पंजीयन शुल्क का भुगतान आनलाइन करना होगा, नगद एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पंजीयन शुल्क स्वीकार नहीं होगा।
- पंजीयन शुल्क के आनलाइन भुगतान के उपरांत आवेदक को पंजीकृत मोबाइल / ईमेल आईडी पर लागिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इसके माध्यम से लागिन करने के उपरांत कियोस्क संचालक को ईमेल एवं मोबाइल नंबर सत्यापित करना होगा, आप चाहे तो इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। सत्यापन के उपरांत अपने बैंक खाता संबंधी जानकारी तथा संचालक एवं आपरेटर का फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।
- आवेदक को कियोस्क लागिन करने पर सर्वप्रथम आनलाइन कियोस्क अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है। अनुबंध (1) मुख्य परिचालन अधिकारी, एमपीआनलाइन लिमिटेड, भोपाल तथा (2) कियोस्क संचालक (जिनके नाम कियोस्क पंजीकृत है) के मध्य 500· रुपये मूल्य के ई-स्टाम्प पर किया जावेगा। अनुबंध पर कियोस्क संचालक को Digital Signature करना होगा। इस हेतु कियोस्क संचालक के पास CLASS-2 श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य है।
- अनुबंध हेतु ई-स्टाम्प को 150 केवी से कम में (स्पष्ट) स्कैन करें और कियोस्क लागइन कर गतिविधियां में जाकर कियोस्क एग्रीमेंट लिंक में अटैच कर डिजिटल सिग्नेचर प्रक्रिया पूर्ण करें। जब तक अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, तब आप नागरिक सेवाओं का उपयोग नहीं कर पायेंगे।
- अनुबंध प्रक्रिया इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 या 11 में http://mponline.gov.in पर ही करें। अनुबंध प्रक्रिया उस सिस्टम में न करें, जिसमें बायोमेट्रिक्स डिवाइस का लायसेंस तथा एंटीवायरस अपलोड हो. अन्यथा आपका लायसेंस इनएक्टिव हो जावेगा। अपने कम्प्यूटर में java के सभी वर्सन अनइंस्टाल करके केवल java 7.2 ही अपलोड करें। डिजिटल सिग्नेचर में जावा एरर की समस्या आने पर संलग्न कियोस्क लागिन पर उपलब्ध पीपीटी देखे।
- कियोस्क अनुबंध प्रक्रिया संबंधी वीडियो Youtube पर देखने हेतु https://www.youtube.com/watch?v=T 4cOPAuRqnA का उपयोग करें।
- बायोमेट्रिक्स डिवाइस रजिस्ट्रेशन संबंधी वीडियो देखने हेतु https://www.youtube.com/watch?v=VzU_o 4 TthGY&feature=youtu.be का उपयोग करें।
- अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत कियोस्क लागिन कर गतिविधियां (Activity) पर जाकर कियोस्क टापअप आप्शन के माध्यम से टापअप करना होगा। टापअप करने के उपरांत

एमपीआनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध समस्त सेवाएं कियोस्क लागिन के माध्यम से प्रदान की जा सकेंगी।

कियोस्क आवंटन के पश्चात पंजीकृत स्थान तथा आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा। सत्यापन के समय निम्न दस्तावेज होना अनिवार्य हैः-

1. शहरी क्षेत्र हेतु दुकान/संस्था का स्थापना का पंजीयन प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र हेतु बिजली / टेलीफोन बिल अथवा दुकान का किरायानामा।
2. आवेदक का 1 पासपोर्ट आकार का फोटो, दुकान के अंदर-बाहर के फोटो।
3. आवेदक का स्वयं का पेन कार्ड एवं आधार कार्ड।
4. घर एवं दुकान का एड्रेस प्रूफ।
5. आवेदक की मार्कशीट (कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण)

ध्यान रखें आवेदक के पास उपरोक्त में से किसी भी दस्तावेज के न होने अथवा गलत पाये जाने पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- आवेदक को कियोस्क आवंटन के उपरांत एमपीऑनलाइन एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के साथ 500/- रु. मूल्य के नॉनज्यूडिशियल ई-स्टाम्प पर आनलाइन अनुबंध कराना होगा। इसके लिये कियोस्क के पास क्लास-2 श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य है। अनुबंध संबंधी विस्तृत जानकारी कियोस्क लागिन पर उपलब्ध है। (अनुबंध का प्रारूप लागिन पर उपलब्ध रहेगा)
- कियोस्क संचालक को एमपीऑनलाइन के मापदंड अनुसार फ्लेक्स/बोर्ड, कियोस्क सर्टिफिकेट, गुमाश्ता प्रमाण पत्र एवं पोर्टल शुल्क की सूची लगाना आवश्यक है, इनके अभाव में कियोस्क के विरुद्ध आर्थिक दंड लगाया जावेगा। कटे-फटे एवं पुराने फ्लेक्स/बोर्ड लगे होने पर भी आर्थिक दंड लगाया जावेगा, अतः इनके स्थान पर साफ-सुथरे बोर्ड लगावें। फ्लेक्स/बोर्ड पर कियोस्क का नाम अवश्य लिखें।
- कियोस्क संचालकों को पोर्टल पर उपलब्ध समस्त सेवाएं नागरिकों को प्रदान करना अनिवार्य है साथ ही सेवा प्रदान करने पर नागरिकों से निर्धारित शुल्क ही लेना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर आर्थिक दंड लगाया जावेगा और आईडी बंद की जा सकती है।
- यदि किसी विभाग द्वारा किसी आवेदक का फार्म, किसी भी कारण से रिजेक्ट किया जाता है और एमपीआनलाइन के विरुद्ध पेनाल्टी लगाई जाती है, तो एमपीआनलाइन द्वारा संबंधित कियोस्क से वह राशि दंड स्वरूप ली जावेगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जावेगी।
- कियोस्क संचालक द्वारा सेवा प्रदान करने में लापरवाही /नागरिकों से दुव्यर्वहार, दो स्थानों से कियोस्क संचालन करने तथा किसी भी प्रकार की अन्य शिकायत (फार्म में त्रुटि करने) तथा

एमपीआनलाइन के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित कियोस्क के विरुद्ध आर्थिक दंड लगाया जावेगा तथा कियोस्क की सेवाएं भी बंद कर दी जावेगी।

- किसी भी प्रकार की शिकायत जांच में सही पाये जाने पर कियोस्क आईडी 1 माह के लिये बंद कर दी जावेगी तथा पुनः आईडी ओपन कराने हेतु कियोस्क संचालक को शपथ पत्र देना होगा।
- शपथ पत्र के आधार पर कियोस्क आईडी पुनः ओपन करने पर आर्थिक दंड 500/- रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) की राशि टापअप से समायोजित की जावेगी।
- किसी भी प्रकार की लापरवाही तथा गंभीर शिकायत प्राप्त होने पर कियोस्क आईडी स्थायी रूप से बंद की जा सकती है।
- कियोस्क संचालक के नाम, पता तथा पेन कार्ड में परिवर्तन / सुधार करने पर भी 500/- रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) शुल्क लिया जावेगा। नाम परिवर्तन अपने परिजनों में ही किया जा सकेगा। शुल्क की राशि कियोस्क टापअप से ली जावेगी।
- कियोस्क संचालक से प्रति वर्ष नवीनीकरण शुल्क लिया जावेगा। यदि कियोस्क संचालक प्रतिमाह ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं या संतोषजनक नागरिक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं अथवा सुविधा का दुरूपयोग करते हैं तो उनका अनुबंध निरस्त करने का अधिकार एमपीऑनलाइन को होगा।
- यदि किसी आवेदक के विरुद्ध गलत जानकारी के आधार पर कियोस्क प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त होती है तो उक्त कियोस्क की सेवाएं बंद करने का अधिकार एमपीऑनलाइन को होगा।
- कोई भी आवेदक केवल आवेदन के आधार पर कियोस्क आवंटन का दावा नहीं कर सकता, मापदंड पूर्ण होने पर ही कियोस्क आवंटित किया जावेगा।
- कियोस्क संचालकों को एमपीआनलाइन के समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। कियोस्क आवंटन संबंधी मापदंडों में बिना पूर्व सूचना किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है।

एमपीऑनलाइन लिमिटेड,

द्वितीय तल, निरूपम शापिंग मॉल, अहमदपुर,

होशंगाबाद रोड, भोपाल (मप्र) 462026,

दूरभाष (0755) 4019400

www.mponline.gov.in